न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 36/2018

1 मनोहरी पुत्री मोहनलाल पत्नी मामचन्द।
2 बरजी पुत्री मोहनलाल पत्नी जसविन्द समस्त जाति जाट निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
3 सुशीला पुत्री मोहनलाल पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पिंकी पुत्री मनोज कुमार जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता मनोज कुमार पुत्र मूलचन्द।
2 सरोज देवी पत्नी मनोज कुमार पुत्र मूलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण कूदन तहसील धोद जिला सीकर।
3 मोहनलाल पुत्र चिमनाराम।
4 टोडाराम पुत्र चिमनाराम।
5 किशनसिंह पुत्र चिमनाराम।
6 भंवरी देवी पत्नी सुरजाराम।
6/1 ग्यारसी पुत्री भंवरी।
2/2 अणची पुत्री भंवरी।
7 जवाहर सिंह पुत्र सूरजाराम।
8 औंकारमल पुत्र सूरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 पटवारी हल्का पिपराली।
11 भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री जूही भार्गव आर.ए.एस. दावा संख्या 338/2011 बउनवानी पिंकी वगैरह बनाम मोहनलाल वगैरह दिनांक 23.01.2018।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगतसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

--निर्णय--

दिनांकः--19-9-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 338/2011 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पिपराली की भूमि खसरा नम्बर 1302,1505/1303,1316,1317,1322,1507/1324,1327,1506/1303,1323, 1508/1324,1325 के सन्दर्भ में उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद वादी डिक्री कर दिया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 96 एवं धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2018 को धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया एंव दिनांक 31.05.2018 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार माना गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 8,9,10 की तामीली प्रकिया पूर्ण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की गई है। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 2 छोटी देवी का 2015 में ही देहान्त हो चुका था। मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद मोहनलाल के पुत्र सुभाष की पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा मोहनलाल की विरासत में वादीगण के पिता सुभाष का 1/3 हिस्सा मानते हुये वाद डिक्री किया गया है। जबकि अपीलांट मोहनलाल की पुत्रियां है। इस नाते मोहनलाल की विरासत में उनका वादीगण के पिता सुभाष के समान ही हक हिस्सा बनता है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है स्पष्ट है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7,8,9 राजकीय पक्षकार थे इनकी तामीली प्रकिया की आवश्यता नही थी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु की सूचना पत्रावली पर नही आई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट का मोहनलाल की पुत्रि होने का तथ्य स्वीकृत है। अपीलांट अपने पिता की सम्पदा में हक अधिकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हेतु प्रथक से दावा लाने हेतु स्वंतत्र है। विचाराधीन निर्णय से वादीगण को उनके हक अधिकार की भूमि प्रदान की गई है। हक से अधिक भूमि नही दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 8,9,10 की तामीली प्रकिया पूर्ण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की गई है। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 2 छोटी देवी का 2015 में ही देहान्त हो चुका था। मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद मोहनलाल के पुत्र सुभाष की पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा मोहनलाल की विरासत में वादीगण के पिता सुभाष का 1/3 हिस्सा मानते हुये वाद डिक्री किया गया है। जबकि अपीलांट मोहनलाल की पुत्रियां है। इस नाते मोहनलाल की विरासत में उनका वादीगण के पिता सुभाष के समान ही 1/6 हक हिस्सा बनता है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है स्पष्ट है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19-9-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते ★ सीकर ★

(धारा सिंह मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर